संख्या-34/2019/785/46-1-19-20(02)/2019

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में गन्ना शोध संस्थान गोरखपुर की पुर्नस्थापना हेतु अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू. 2900.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत गन्ना शोध संस्थान गोरखपुर की पुर्नस्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि रू. 2900.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू. 28,99,27,500 (रूपये अट्ठाइस करोड़ निन्यानवे लाख सत्ताइस हजार पॉच सौ मात्र) की गोरखपुर में पुरानी चीनी मिल पिपराईच के नजदीक ग्राम हरखापुर रिठियां एवं पिपराईच में चिन्हित 19.995 हे. कृषिगत भूमि क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति सहित श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि चिन्हित 19.995 हे. कृषिगत भूमि क्रय करने हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर को यथा प्रक्रिया उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2020) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(6) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(9) धनराशि आहरित कर बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विविरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक "4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-004-अनुसंधान-03-गन्ना शोध संस्थान गोरखपुर की पुनर्स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-505/दस-2019 दिनांक 24 जुलाई 2019 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-34/2019/785(1)/46-1-19-20(02)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ/निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
5. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
6. जिलाधिकारी गोरखपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2,
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है